## Central Goods & Services Tax Rules, 2017

## Rule 102: Special Audit

- (1) Where special audit is required to be conducted in accordance with the provisions of section 66, the officer referred to in the said section shall issue a direction in **FORM GST ADT-03** to the registered person to get his records audited by a chartered accountant or cost accountant specified in the said direction.
- (2) On conclusion of the special audit, the registered person shall be informed of the findings of the special audit in FORM GST ADT-04.

## केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

## नियम 102 : विशेष संपरीक्षा

- (1) जहां धारा 66 के उपबंधों के अनुसार विशेष संपरीक्षा करने की अपेक्षा है वहां उक्त धारा में निर्दिष्ट अधिकारी प्ररूप जीएसटी एडीटी—03 में एक निदेश जारी करेगा जिसमें वह रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति को उक्त निर्देश में विनिर्दिष्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा अभिलेखों की संपरीक्षा करवाने का निर्देश देगा।
- (2) विशेष संपरीक्षा के समाप्त होने पर रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी एडीटी-04 में विशेष संपरीक्षा के निष्कर्षों के बारे में सूचित किया जाएगा।

www.cggst.com